

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांक-1603 / मुजफ्फरनगर / 26409 / 2017 दिनांक, लखनऊ, फरवरी 08, 2019

सेवा में,

अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (के0),  
भारत सरकार,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र,  
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, से0-एच, अलीगंज,  
लखनऊ।

विषय : मुजफ्फरनगर में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन लि0 द्वारा 132 के0वी0 मुजफ्फरनगर-जानसठ तीलो भोपा (भोकरेहड़ी) पारण लाइन के निर्माण हेतु 0.1944 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वाणिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 12 बाधक वृक्षों कि पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक-8बी0/यू0पी0/04/56/2018/एफ0सी0/530, दिनांक-05.12.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयागत प्रकरण में वांछित अभिलेख वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर ने अपने पत्रांक-1723/14-1, दिनांक 18.12.2018, द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

अतः वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर के पत्र दिनांक 18.12.2018 की मूल प्रति सहित इस अख्य से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया विषयागत प्रकरण में आवश्यक अग्रोत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,

उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक - 1603 / मुजफ्फरनगर / 26409 / 2017, उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि-निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनाार्थ एवं आक्षयक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा0वा0, मुजफ्फरनगर।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कार्पो0 लि0 मुजफ्फरनगर।

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,  
उ0प्र0, लखनऊ।